गुणवत्ता में सुधार लाया जाता है। इनके द्वारा वर्ष 1993-94 के दौरान 7 मि.टन कोकिंकर कोयले के आयात किए जाने का अनुमान लगाया गया है।

(ग) और (घ) 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए विनिर्दिष्ट कुछ महत्वपूर्ण नए/विस्तार कोकिंकर कोयला परियोजनाएं निम्नलिखित हैं—पारेज ओपेनकास्ट (क्षमता 1.75 मि.टन), पारेज ईस्ट भूमिगत (क्षमता 0.30 मि.टन), झारखंड ओपेनकास्ट (क्षमता 1.00 मि.टन), टोपा (पुनर्गठन) ओपेनकास्ट (क्षमता 1.20 मि.टन) तथा कथारा (पुनर्गठन) ओपेनकास्ट (क्षमता 1.80 मि.टन.)। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष (1996-97) में देशीय स्रोतों से कोकिंकर कोयले के धातुकर्मी ग्रेड की उपलब्धता में वृद्धि होने के कारण कोकिंकर कोयले के आयात की मात्रा में कमी आ जाने की संभावना है।

कोकिंग कोयले के मूल्यों में वृद्धि

3826. **श्री गया सिंह** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोल इंडिया लिमिटेड कोकिंग कोयले के मूल्य में 800 रुपये प्रतिटन की वृद्धि करने वाली है; और

(ख) इस्पात के उत्पादन और सामान्य व्यक्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा तथा इस संबंध में पूरा ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में दिनांक 17-2-1993 से, कोयले की औसत कीमतों में, जिसमें कोल इंडिया लि. के कोकिंकर कोयला शामिल हैं, में 322 रु. प्रति टन की पूर्ववर्ती औसत कीमत की तुलना में 364 रु. प्रति टन तक की वृद्धि की है। इस्पात क्षेत्र पर कीमतों की वृद्धि का प्रभाव केवल इस्पात के मामले में लगभग 142 रु. टन होने का अनुमान लगाया गया है। इसी तरह विद्युत के मामले में यह प्रभाव केवल 2.9 पैसा/कि.वा. घटा तथा थोक बिक्री कीमत सूचकांक पर 0.32% वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। किन्तु साफ्ट कोक की कीमत, जिसे आम तौर पर घरेलू क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, को कीमतों की वृद्धि की परिधि से बाहर रखा गया है।

कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष को प्राप्त हुए पत्र

3827. **श्री राम नरेश यादव** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लिमिटेड, नेताजी सुभाष मार्ग, कलकत्ता के अध्यक्ष को अगस्त, 1990 माह के दौरान कोयला मजदूर कांग्रेस के महासचिव से कितने पत्र प्राप्त हुए;

(ख) इन पत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस संबंध में अध्यक्ष ने कोई जांच कराई है; यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) (क) अगस्त, 1990 के दौरान दिनांक 7 अगस्त, 1990 को अध्यक्ष, कोल इंडिया लि. को कोयला मजदूर कांग्रेस के महासचिव का एक पत्र प्राप्त हुआ था।

(ख) मजदूर संघ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा श्री जे. कुमार सिन्हा व अन्य बनाम अध्यक्ष, कोल इंडिया लि. एवं अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध दायर याचिका के मामले में दिए गए आदेश में तेजी से कार्यान्वयन कराने की प्रार्थना की गई थी।

(ग) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय पर कोल इंडिया लि. द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर स्थगन आदेश जारी कर दिया गया है। यह मामला अभी न्यायालय के विचाराधीन है।

उत्तर प्रदेश में कोयले के थोक-विक्रेता

3828. **श्रीमती सत्या बहिन** :

श्रीमती कौलाश पति :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में इस समय कोयले के कितने थोक विक्रेता हैं, उनके नाम क्या हैं तथा ये किन-किन क्षेत्रों में बिक्री कार्य कर रहे हैं;

(ख) उक्त थोक विक्रेताओं में से कितने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के हैं और उनके नाम क्या-क्या हैं तथा क्या उनकी संख्या संतोषजनक है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या निकट भविष्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विक्रेताओं/अभिकर्ताओं की नियुक्ति किए जाने का प्रस्ताव है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (ग) देश के विभिन्न भागों में छोटे उपभोक्ताओं की कोयले की उपलब्धता में सुधार लाए जाने की दृष्टि से कोल इंडिया लि. ने कोयले में थोक व्यापार को विकसित किए जाने के लिए एक नई योजना विकसित की है । इस योजना के अंतर्गत कोल इंडिया लि. की सहायक कंपनियों खुले विज्ञापनों के जरिए आवेदनों के आधार पर थोक बिक्री डीलरों की नियुक्ति करेंगे । प्रत्येक डीलर को प्रतिमाह न्यूनतम 3,000 टन कोयले का उठाव करना पड़ेगा । डीलरों को उसे कोयले की बिक्री करने और उसकी बिक्री किए जाने वाले कोयले की कीमतों का निर्धारण करने के मामले में स्वतन्त्रता होगी ।

इस योजना का अभी कार्यान्वयन किया जाना है। अतः कोल इंडिया लि. ने अभी तक उक्त प्रदेश में कोयले के किसी थोक बिक्री डीलर की नियुक्ति नहीं की है ।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के आवेदकों को, यदि वे इस योजना में दिए गए वाणिज्यिक मानदण्डों को पूरा करते हों तो उन्हें भी उपरोक्त योजना के अंतर्गत थोक बिक्री डीलर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है ।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय का पालन न किया जाना

3829. **श्री राम नरेश यादव** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ ने 30 मई, 1990 को एक निर्णय दिया था जिसमें कोल इंडिया लिमिटेड को श्रमिकों को पुनर्नियुक्त करने का आदेश दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या कोल इंडिया लिमिटेड के प्रबंधकों ने इस निर्णय का पालन किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो न्यायालय के इन आदेशों का पालन न किये जाने के क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (ग) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने 30 मई, 1990 के निर्णय में यह आदेश दिया था कि कोल इंडिया लि. के प्राधिकारी याचिकाकर्ता कामगारों के व्यक्तिगत अभ्यावेदनों पर तीन माह की अवधि के अंदर विचार कर लें और प्रत्येक याचिकाकर्ता को जांच पूरी होने तक 10,000/- रु. की राशि अदा की जाए । उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय को प्रबंधन द्वारा अपील करने पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थगनादेश दे दिया है । यह मामला अभी भी न्यायालय के विचाराधीन है ।

प्रतिकूल खनन परिस्थितियों के कारण अधूरी कोयला परियोजनाएं

3830. **श्री राम सिंह राठवा** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिकूल खनन परिस्थितियों के कारण कोयला परियोजनाओं संबंधी कार्य निर्धारित समय के भीतर पूरा नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो इस कारण प्रभावित हुई है और परिणामतः निर्धारित समय के भीतर पूरी नहीं की जा सकी है; और

(घ) सरकार इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या प्रयास कर रही है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (ग) सरकार द्वारा स्वीकृत कुछ बड़ी भूमिगत चालू परियोजनाएं, जिनमें प्रतिकूल भू-खनन परिस्थितियों के